Regarding Regulatory Body for online news portal

श्री दिलीप शइकीया **(दारंग-उदालगुड़ी) :** सभापति महोदय, मैं सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं । देश में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनलों के लिए रेगुलेशन अथॉरिटी बनाने के विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ।

प्रेस और मीडिया हमारे गणतंत्र का चौथा स्तम्भ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया को विभिन्न खबरों के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुंचाना है । आज के डिजिटल युग में बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चैनलों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है । इनमें से बहुत सारे न्यूज पोर्टल चैनलों के द्वारा लोगों में झूठी और बिना विश्वसनीयता के खबरों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण संविधान के चौथे स्तम्भ पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है ।

मैडम, देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल और न्यूज चैनल्स को केवल व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है । इन चैनलों से संबद्ध कुछ लोग पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघ कर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुंचा रहे हैं । इसके साथ ही झूठी खबरें फैलाकर सबोटाज और ब्लैकमेलिंग के भी काफी सारे उदाहरण सामने आये हैं ।